


आधिपत्य प्रमाण-पत्र

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी उदयपुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक /2598/मु.लि./2017 उदयपुर, दिनांक 13-10-2017 के पालन में संयुक्त रेलवे लाईन निर्माण परियोजना के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2016-17 पारित अवार्ड दिनांक 06-10-2017 के अनुसार अधिग्रहित निजी भूमि स्थित ग्राम-साल्ही, पटवारी हल्का क्रमांक-16, राजस्व निरीक्षक मण्डल-उदयपुर, तहसील-उदयपुर, जिला-सरगुजा, कुल-40 खातेदार, कुल खसरा क्रमांक-65, अधिग्रहित रकबा 8.977 हेक्टेयर का भौतिक आधिपत्य प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राईवेट लिमिटेड, सूरजपुर को आज दिनांक 26/10/2017 ग्राम-साल्ही में प्रदान किया गया।


- संलग्न :- 1) अधिग्रहित निजी भूमि का मानचित्र।
2) अधिग्रहित भूमि का बी-1, खसरा।

आधिपत्य ग्रहिता



प्राधिकृत अधिकारी
सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राईवेट लिमिटेड,
सूरजपुर

आधिपत्य प्रदानकर्ता



तहसीलदार
तहसील-उदयपुर, जिला-सरगुजा
छत्तीसगढ़